

ग्राहकों को सूचना

जून 2017 तक गैर सीटीएस चेकों को हटाना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जून 2017 तक समाशोधन से गैर सीटीएस लिखतों को पूरी तरह से हटाने हेतु सूचित किया है. हमारा बैंक 01 अगस्त 2011 से अपने ग्राहकों को केवल सीटीएस अनुरूप चेक जारी कर रहा है.

खाता धारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पास 01.08.2011 से पहले के कोई भी चेक हों (गैर सीटीएस चेक), तो उन्हें किसी भी शाखा में जमा करें और इसके बदले नई चेकबुक प्राप्त करें. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जून 2017 तक समाशोधन से गैर सीटीएस लिखतों को पूरी तरह से हटाने हेतु सूचित किया है.

इस तरह के चेक के अस्वीकार होने के मामले में ग्राहकों को होने वाली किसी भी हानि के लिए हमारा बैंक जिम्मेदार नहीं होगा. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए ग्राहक, सेवा परिचालन प्रबंधक / शाखा प्रमुख से संपर्क कर सकते हैं.

मुख्य महाप्रबंधक
केन्द्रीयकृत परिचालन एवं बीओएसपीडी